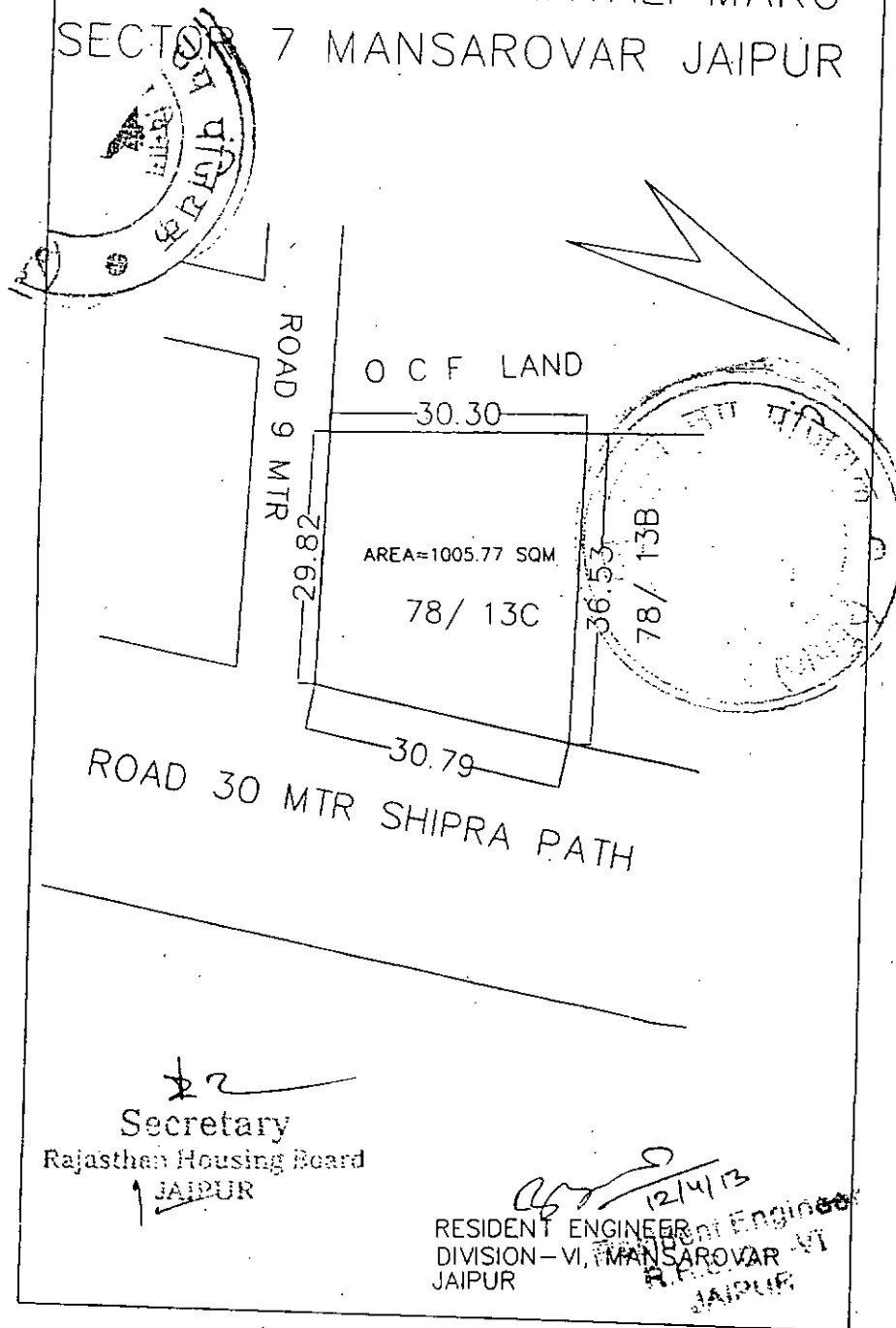
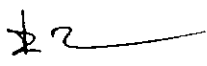
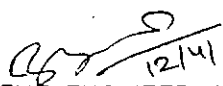


SITE PLAN OF PLOT NO. 78/13C
SHIPRA PATH & ARAVALI MARG
SECTOR 7 MANSAROVAR JAIPUR




Secretary
Rajasthan Housing Board
JAIPUR


12/4/13
RESIDENT ENGINEER
DIVISION - VI, MANSAROVAR VI
JAIPUR

**Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR AMER**

AMER

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

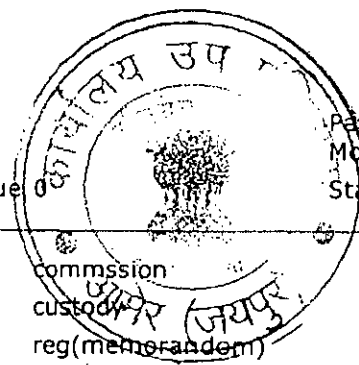
Fee Receipt No	2013064002682	Date	03/05/2013
Presenter Name	RINKU DHABAI	Document S. No	2013064003210
Presenter/Property Address	B 2 JANTA COLONY JAIPUR null null		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claimant Name	RAJASTHAN HOUSINGH BORD		
Face Value	0	Evaluated Value	0
		Payment Mode	Cash
		Stamp Value	0

Ord- registration fee	100	commssion	0
csi_less_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	500	Surcharge	50
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	850

Eight Hundred Fifty Only


Cashier


Sub Registrar AMER



OFFICE OF THE RESIDENT ENGINEER,
R.H.B. DIV-IX, MANSAROVAR, JAIPUR.

Name of Allottee Shri. श्रीमती रिकु घामाई
Plot No. 78/13-C
Area (आवासीय मूखण्ड) 1005.77 वर्गमीटर

CERTIFICATE FOR HANDING OVER OF THE PLOT

(Against Khasra No. ...207-208 . Gram ..Sukhalpura ...)

Allottee/ DHC/ Resident Engineer/ P.E. (Sr.)

Co

Allotment Letter No. 10538 Dated 15/04/2013

Certificate that I have handed over the physical possession of Residential Plot No. 78/13-C

Mansarovar, Jaipur Sector No. 7 Zone 7B

Shri/Smt. रिकु घामाई

On date 6/5/2013

HANDED OVER

TAKEN OVER

Project Engineer (Sr.)
RHB, DIV- IX,
Mansarovar, Jaipur.

RESIDENT ENGINEER
RHB, DIV. IX, JAIPUR

रिकु घामाई
Signature of Allottee

DECLARATION

Certificate that I have taken over the physical possession of above said plot.
Which is Clear from any encroachment.

Date 6/5/13

रिकु घामाई
Signature of Allottee

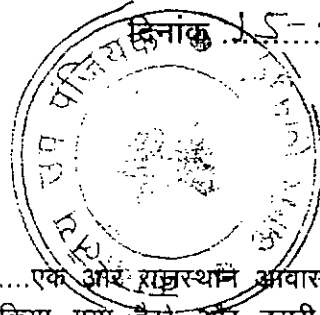
राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर, जयपुर



क्रमांक-प.1 (4) अ./

10538

आवंटन-पत्र



दिनांक 15-4-13

यह इकरारनामा जो आज 15-4-2013 एक ओर राजस्थान आवासन मण्डल (जिन्हें इसके बाद राजस्थान आवासन मण्डल सम्बोधित किया गया है) और दूसरी ओर श्री श्री रिक्वायर्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिनको इसके भूखण्डधारी कहकर सम्बोधित किया गया है) और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि, क्रेता भी सम्मिलित होंगे, के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित भूमि जो सभी प्रकार के भारों, रहन, विक्रय बखशीश इत्यादि से मुक्त होने और जिसके स्वामित्व और अधिकारी की जिम्मेदारी खातेदार पूर्व अनुबन्ध में स्वीकार कर चुका है, के निःशुल्क समर्पण के बदले में, जिसे राजस्थान आवासन मण्डल एतद द्वारा स्वीकार करती है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो खातेदार / भूखण्डधारी द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज् में राजस्थान आवासन मण्डल इसके द्वारा खातेदारों को जमीन का वं समस्त भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) जो राजस्थान आवासन मण्डल की योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाएं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट "ब" में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से संलग्न नक्शे में रंग से दिया गया है। और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समस्त व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बन्धनों शर्तों और करारों के अधीन पट्टेधार अपने उपयोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

1. परिशिष्ट "अ" में वर्णित भूमि की अवाप्ति हेतु अवार्ड, विशेषधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा वाद सं 17.6.2.1.1 दिनांक 27.3.2000 को जारी किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक-प.6(44) नविआ / 3 / 89 दिनांक 22-4-92 द्वारा गठित समझौता समिति की बैठक दिनांक 16.2.2000 के निर्णयानुसार खातेदार को यह भूखण्ड पूर्ण विकसित आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड के रूप में खातेदार की कुल भूमि रकबा बीघा बिस्वा के 15% अथवा 25% (जो भी लागू हो) आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड सं. 7.8/13-6 क्षेत्रफल 1005.72 वर्ग मीटर का आवंटन किया जाता है।

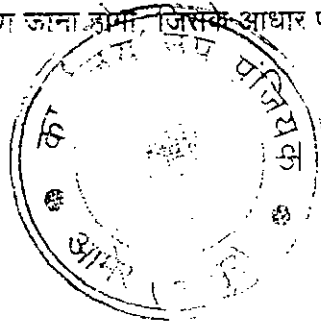
उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल रिहायशी/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु किया जावेगा एवं उस पर केवल रिहायशी/व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्माण किया जावेगा। (जो लागू न हो उसे काट दिया जावे)

परिपत्र, आदेश

- (i) उक्त भूखण्ड शहरी जमाबंदी (लीज होल्ड) पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी।
- (ii) उक्त भूखण्ड का पट्टा राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों एवं राज्य सरकार तथा मंडल द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों में अंकित शर्तों के अधीन होगा।
3. भूखण्डधारी इस भूखण्ड पर राजस्थान आवासन मण्डल या अन्य किसी स्थानीय निकाय में दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों के अनुसार भवन बनाने के ऐसे नियमों को पूर्णतया पालन करते हुए, बनवाकर पूरा कर लेगा जो उक्त समय क्षेत्र या स्थल पर जिस क्षेत्र में या स्थल पर जिसमें या जहां पर उक्त भूखण्ड स्थित है, लागू होते हैं।
4. भूखण्डधारी उक्त भूखण्ड या उस पर बनवाई गई भवन या भवनों के किसी भाग के किसी भी ऐसे आशय के लिये पद में निर्दिष्ट आशय के असंगत है बिना मण्डल की लिखित स्वीकृति के न, तो

यदि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तों के विपरीत भूखण्ड का भूउपयोग बिना सक्षम पूर्वानुमति के बदलता है तो भूखण्ड मण्डल में स्वतः ही निहित हो जायेगा और उसके प्रति किसी भी प्रकार का नुआवजे पाने का खातेदार / पश्चातवर्ती भूखण्ड धारकों को कोई अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही आवंटी भविष्य में भी आवासन मण्डल की किसी योजना में आवास पाने का अधिकारी नहीं होगा।

6. यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण / विक्रय अगर किसी को किया जाता है तो आवंटी उक्त हस्तांतरण की सूचना मण्डल को देगा।
7. मण्डल से प्राप्त विकसित भूखण्ड के आवंटी द्वारा अगर भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो मूल आवंटी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड के समस्त कागजात की छायां प्रति मण्डल को उपलब्ध करानी होगी एवं नियमानुसार मण्डल द्वारा तय की गई प्रशासनिक शुल्क भी नये क्रेता द्वारा जमा कराया जाना होगा, जिसके आधार पर मण्डल अपने अभिलेख में नये क्रेता का नाम दर्ज करेगा।



परिशिष्ट 'अ'

खातेदार का नाम- कानाराम / किशोर सिंह / कन्हैयालाल / हनुमान अहाथ / हिरालाल / गौरीदेवी / कमला देवी / कमनवी देवी / फूलदा देवी / बीना / रमेश चंद / किशोर / सुरा / मंगला / शोभा / सुचालपुरा

ग्राम का नाम-

तहसील - सोनानेर

जिला - जयपुर

खसरा नं. मय क्षेत्रफल:

207 व 208

परिशिष्ट 'ब'

1. योजना का नाम मय करवा / शहर : जयपुर

2. आवंटित भूखण्ड की संख्या - 78/13-C

क्षेत्रफल - 1005.77 वर्ग मी.

3. आवंटित भूखण्ड की सीमाएँ:

पूर्व में - सड़क

पश्चिम में - OCF

उत्तर में - 78/13-B

दक्षिण में - सड़क

प. प्र. म. अधिकारी, जयपुर

इसके साक्षी के रूप में पक्षकारों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

ह. भूखण्डधारी रिश्ते धाराई

ह. गवाह

रिश्ते धाराई

Secretary
Rajasthan Housing Board
जयपुर

EM(L)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक 3 माह मई सन् 2013 को 03:06 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RINKU DHABAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JITENDRA DHABAI
उम्र 40 वर्ष, जाति GUJAR व्यवसाय HOUSE WIFE
निवासी B 2 JANTA COLONY JAIPUR null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

रिंकु धाबाई

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013064003210)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर, **रिंकु धाबाई**, आमेर
AMER

रसीद नं०	[2013064002682]
दिनांक	[3-5-2013]
पंजीयन शुल्क रु०	100
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पृष्ठंकन शुल्क रु०	200
अन्य शुल्क रु०	50
कमी स्टाम्प शुल्क रु०	500
कुल योग रु०	850



(2013064003210) **रिंकु धाबाई**, आमेर
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 - RINKU DHABAI / JITENDRA DHABAI
उम्र -40 वर्ष जाति - GUJAR, व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी - B 2 JANTA COLONY JAIPUR

Signature

रिंकु धाबाई

Photo

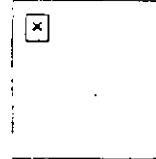


Thumb



(And Claimant)

1 - RAJASTHAN HOUSING BORD / JAIPUR
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR



ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़
सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल
राशी रु० _____ पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे
से रु० _____ पूर्व में ----- मेरे समक्ष प्राप्त
करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री DINESH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAMU LAL
उम्र -30 वर्ष जाति-GUJAR व्यवसाय -PRIVATE SERVICE
निवासी B 5 JANTA COLONY JAIPUR,,

रिंकु धाबाई



ने की है जिसके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठ के निशान मेरे
समक्ष लिये गये हैं।

आज दिनांक 3/5/2011

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 498

में पृष्ठ संख्या 65 क्रम संख्या 2013064002296 पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1496

के पृष्ठ संख्या 119 से 124

पर चर्या किया गया।

(2013064003210)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, आमर

उप पंजीयक, AMER

